

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र/पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत संचालित संस्थाएं।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2023/5461

लखनऊ:दिनांक-07.11.2023

विषय:-छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति, पोर्टल 2023-24 के मास्टर डाटा में परिषद से सम्बद्धता प्राप्त नवीन संस्थाओं के पंजीयन/रजिस्ट्रेशन के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-3, के शासनादेश संख्या 78/2023/2631/26-3-2023-CN-1635592 दिनांक 28 सितम्बर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023 निर्गत की गयी है (संलग्न)। नियमावली-2023 के पृष्ठ-5 के बिन्दु-9 (ii) में "मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितम्बर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो।" का उल्लेख है।"

संलग्न नियमावली का भलीभांति अवलोकन करते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति-2023 हेतु समाज कल्याण के वेबपोर्टल पर त्रुटिरहित आवेदन करते हुए आवेदन पत्र एवं परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निर्गत सम्बद्धता पत्र की सत्यापित प्रति परिषद कार्यालय में दिनांक 08-11-2023 से 10-11-2023 के मध्य प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे परिषद कार्यालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। यह भी अवगत कराना है कि आवेदन पत्र पर मोबाइल नं0 स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पू0सं0 प्राशिप/परिषद/2023/5462

तददिनांक-07.11.2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र।


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव